न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **02/2022** (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. जगदीश शर्मा पुत्र श्री लालचन्द **(ऋणी –बंधककर्ता)**
   पता– वार्ड नं0 20, हिम्मत नगर, साईंबाबा मन्दिर के सामने, रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326519
   दूसरा पताः– प्लॉट तेल फैक्ट्री मोहल्ला, भीमगंज वार्ड, जिला बारां (राजस्थान)
2. श्रीमति शारदा बाई बाई पत्नी श्री लालचन्द **(सह–ऋणी)**
   पता– राम नगर कॉलोनी, तेल फैक्ट्री वार्ड नं0 04, बारां एमडीजी, जिला कोटा राजस्थान–326519

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थितः–
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14/2/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी '' एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 08 नवम्बर 2017 को 6,80,000/– रूपये (अक्षरे छः लाख अस्सी हजार रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री जगदीश शर्मा पुत्र श्री लालचन्द की सम्पत्ति प्लॉट तेल फैक्ट्री मोहल्ला, भीमगंज वार्ड, जिला बारां जिसका माप 692.25 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में रोड़, पश्चिम में रोड़, उत्तर में बद्रीलाल शर्मा का मकान दक्षिण में मथुरालाल का मकान है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी [illegible] ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 10.12.2019 को एन.पी.ए. कर दिया [illegible] अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 6,12,173/– (अक्षरे छः लाख बारह हजार एक सौ तिहत्तर रूपये) बकाया राशि दिनांक 17.01.2020 तक शेष देय है व दिनांक 17.01.2020 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि के पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial

जिला मजिस्ट्रेट बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.04 11:30:56 IST
Reason: SelfAttested

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार कमशः हिन्दी में "राष्ट्रदूत" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 18.02.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **श्री जगदीश शर्मा पुत्र श्री लालचन्द की सम्पत्ति प्लॉट तेल फैक्ट्री मोहल्ला, भीमगंज वार्ड, जिला बारां जिसका माप 692.25 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में रोड़, पश्चिम में रोड़, उत्तर में बद्रीलाल शर्मा का मकान दक्षिण में मथुरालाल का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14/2/22 को सुनाया गया ।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.04 11:30:56 IST
Reason: SelfAttested